



प्रेस नोट थाना सिरसागंज कुर्की दिनांक 25-03-2026 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त 1. चोब सिंह पुत्र राजवीर सिंह 2. भूरईया उर्फ कुलदीप पुत्र राजवीर 3. श्रीदयाल उर्फ शंकर दयाल पुत्र राजवीर सिंह की मूल्य 96,63,000/- (96 लाख 63 हजार 000 रुपये) की चल / अचल सम्पत्ती को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

- कुर्क की गयी सम्पत्ति की बाजारू कीमत लगभग 01 करोड 25 लाख है ।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में आदतन / संगठित गिरोह बनाकर गम्भीर अपराध कराति करने वाले अपराधियों पर लगातार की जा रही है धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही.....
- अभियुक्तगण चोब सिंह, भूरईया उर्फ कुलदीप, श्रीदयाल उर्फ शंकर दयाल द्वारा संगठित गिरोह बनाकर हत्या, मारपीट, बसूली, चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करके अवैध धन अर्जित किया गया है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में थाना सिरसागंज पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा थाना सिरसागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 639/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित शातिर अभियुक्तगणों की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अचल सम्पत्ति मूल्य 96,63,000/- (96 लाख 63 हजार रुपये) को आज दिनांक 25-03-2026 को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

नाम पता अभियुक्तगण--

1. चोब सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी सोथरा रोड़ कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।
2. भूरईया उर्फ कुलदीप पुत्र राजवीर सिंह सोथरा रोड़ कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।
3. श्रीदयाल उर्फ शंकर दयाल पुत्र राजवीर सिंह निवासी सोथरा रोड़ कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

अभियुक्त चौब सिंह का आपराधिक इतिहास -

01-मु0अ0सं0 246/2024 धारा 147,148,149,302,34 भादवि थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

02-मु0अ0सं0 639/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

अभियुक्त भूरईया उर्फ कुलदीप का आपराधिक इतिहास -

01-मु0अ0सं0 50A/2003 धारा 302 भादवी थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद ।

02-मु0अ0सं0 246/2024 धारा 147,148,149,302,34 भादवि थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

03-मु0अ0सं0 639/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

अभियुक्त श्रीदयाल उर्फ शंकर दयाल का आपराधिक इतिहास -

01-मु0अ0सं0 246/2024 धारा 147,148,149,302,34 भादवि थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

02-मु0अ0सं0 639/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

अभियुक्त चौब सिंह उपरोक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ लगातार अपराध कारित कर कई अवैध चल / अचल सम्पत्ती अर्जित की गयी हैं जिसमें थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा कुर्क करते हुए जब्तीकरण की गयी सम्पत्ती का विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	सम्पत्ती का स्वामी	सम्पत्ती का प्रकार	मूल्यांकन रूपयों में
1	चौब सिंह व कुलदीप पुत्रगण राजवीर सिंह निवासी सौथरा रोड कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।	मौजा सिरसागंज तहसील सिरसागंज गाटा संख्या 1192,1193 आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 116.51 वर्ग मीटर	18,88,000/- रुपए
2	चौब सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी सौथरा रोड कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।	मौजा उरावर हस्तर्फ तहसील सिरसागंज कृषि भूमि खाता संख्या 1751 कुल 10 किता रकबा 4.165 हेक्टेयर का 1/12 भाग अर्थात 0.347 हेक्टेयर	9,37,000/-
3	शिमला देवी पत्नी चौब सिंह व विमलेश पत्नी कुलदीप सौथरा रोड कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।	मौजा सिरसा खास तहसील सिरसागंज में आवासीय प्लॉट गाटा संख्या 630 क्षेत्रफल 349 वर्ग मीटर	30,37,000/-
4	विमलेश पत्नी कुलदीप सौथरा रोड कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।	मौजा उजरई तहसील सिरसागंज खाता संख्या 585 कृषि भूमि रकबा 0.289 हेक्टेयर	13,30,000/-
5	श्री दयाल उर्फ शंकर दयाल व चौब सिंह पुत्रगण राजवीर सिंह सौथरा रोड कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।	मौजा सिरसागंज मौहल्ला फ्रेंड्स कॉलोनी बार्ड नं0 12 गाटा संख्या 1257 क्षेत्रफल 10.59 वर्ग मीटर	24,71,000/-
कुल कीमत-----			96 लाख 63 हजार रूपये /-
कुर्क की गयी सम्पत्ति की बाजारु कीमत लगभग 01 करोड 25 लाख है ।			